

कार्यालय नगर परिषद्, आदित्यपुर

परमित संख्या : 1421

दिनांक : 16.9.14

प्रेषित

मैं दयात बिल्डर

पौ श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पिता रंवा सरदार गुरुदयाल रिह (Proprieter of Part Land & P.O.A.H of Land Owner)
Gouri Shankar Road, Jugsalai P.o & P.S-Jugsalai, Jamshedpur.

विषय : पुर्व में पारित भवन प्लान कार्यालय के पत्रांक 695 दिनांक 10.6.13 में Extension करने के संबंध में।

- गविष्य में यदि यह पाया जाता है कि गुणि का अंतरण एवं रखावधिकार गलत है तो यह आदेश खत्त। निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षमतापूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी उत्तर पर भवन अनुमति प्राप्त करेंगे का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
 - भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पणमेन्ट एवं की घोषणा 7.2(a) के तहत रखायित संघवित प्रमाण पत्र प्रत्यक्ष उत्तर करना होगा तथा सदाग्र प्राधिकार से संघवित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषपूर्वक होने के उपरान्त ही यह आदेश मान्य होगा।
 - स्थीरकृत भवन मान्यत्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे बिना विद्युत रोकीकृति के संरचना/प्रकृति में विद्युतन नहीं करेंगे दिव्यालय की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलोज के प्रावधानों के अनुसार उक्त भवन अप्सारित किया जा सकता है तथा संघवित अनुज्ञातीयार्थी अनियता जो इस कार्य को कर रहे हैं, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
 - भवन निर्माणकर्ता, संघवित भू-खाली तथा अनुज्ञाप्रियारी अनियता, जिनके द्वारा न्ददन प्रद्युम्न जिला गढ़ है उनका दायित्व होगा कि रोकीकृत नदन को उपर्युक्त भूमि पर खाली भवन रखा जाए। उपर्युक्त भवन को संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार कर रहेंगे।
 - निर्माण की युग्मता झारखण्ड तालक निर्माण विधान गोरीय मानक की विशेषियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं सारथना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुधार का दायित्व अनुज्ञाप्रियारी अनियता के साथ-ताथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
 - भवन निर्माण में भवन के आगे 5.83 (av) मी० पीछे 4.61(av) मी० दाढ़ियों तरफ 4.61 (av) मी० तथा बाये तरफ 4.57(av) मी० छोड़कर भवन वा निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा भवन की छाँवाई रोकीकृत 21.28 मी० Ground Coverage 41.48 % F.A.R 2.97 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन लाने में दर्शाये गये छेनेज एवं सिरस्टम का प्रावधान रखयें आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामान छोड़ गये सेट बैक, भूमि, नगरपालिका के पलिक रटीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार यूनिरिपल रोड हेपु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तात्पर्य भवन के पिछे 25 मी० का निर्वासित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
 - रक्कार/नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रत्यावित युगि तथा मानक का उवित युआजजा यु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत युगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवारा बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा युग्म सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अविश्वास किया जाना है तो स्थान प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे रास्ता ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा संबंधी प्राविकारों से अनुमति प्राप्त कर समाप्त उपरासित करना अनिवार्य होगा।
 - नगर परिषद के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक रारंचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवधित पुरुष नाली रो भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञाप्रियारी अनियता का होगा। चूंकि यह एक वृहद सरकारा है आता वर्तमान रार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Severege Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तात्त्वावधीन का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
 - जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर रोकीकृतगतेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुदाय जल आपूर्ति की व्यवस्था रखयें करनी होगी परन्तु डांप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।

(A) Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through W/S 3 & 2

- (v) Shallow boozing (b) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D

 10. मुख्यांड के सामने वाहरीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से मध्यन उपनियम तथा न्यूर्जीसंवर्द्ध दिलानिर्देश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राविकाग के द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
 11. निर्माण इंजी के प्रबन्ध हेतु कई सूचना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा स्थिर/शुगु तत्त्व पर कार्य आने के पश्चात इसकी बदल दिस दिया का ऊन्डा करने के बाद से जल सिंचन उद्योग जल संग्रह आदि का अनुपालन करना अनुपालन करना अनुपालन नहीं करने पर यह स्थिरता रख कर दिया जायगा।

12. निर्गणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। गवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में घनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त लगा का जेनरेटर लगाना होगा।
13. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशमक यंत्र लगाना होगा तथा अग्निशमन विमाण द्वारा दिये गये निदेश जो पत्रांक 740 दिनांक 02.05.13 एवं पत्रांक 337 दिनांक 20.8.14 के द्वारा प्रसारित है। साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्माता परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस गवन निर्माण के साथ-राश निन अग्निशमक सुविधाएं देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
14. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
15. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के गवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-खामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति / क्रेता को इसकी दखल देंगे।
16. निर्गणकर्ता / संर्वधन / स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पर्षद क्षेत्र में गिरडिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों / परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की घारा 441(i) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डरर्टीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही घारा 427(v) यदि लागू होता है तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। गवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दखलाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सड़क पर, सड़क के ऊपर खुलता हो।
17. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रिक रूल का अनुपालन करते हुए वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा।
18. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, निर्गणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं स्थान संख्या, रकवा, र्धीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल र्धीकृत तल एवं कुल र्धीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को र्धीकृत भवन प्लान की अभिमानित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
19. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
20. विकासकर्ता / संर्वधन / स्थलधारी को झारखण्ड आर्प्टमेंट सम्पति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
21. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि / सरकारी भूमि / आदिवासी खाता की भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुभवित आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
22. विविध राय के अनुसार उक्त भूमि के रखताधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांतरण हेतु सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये दिना हस्तांतरण, पहुंच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वत रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की रिथित में यह अनुमति स्वत रद्द माना जायेगा। सरकारी / रेयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश रखत निररत समझा जायेगा।
23. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति रखयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर दें।
24. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचनात्मक परिषेष्य आदि के सदृश न कोई प्राप्तकुल कर दें।
25. भवन में समुद्रित क्षमता का तडित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
26. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक रस्ते स्कम प्राधिकार को जामा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
27. परमिट निर्माता होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की रिथित में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त स्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दोषी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
28. गवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपरांतित करना अनिवार्य होगा।
29. गवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञातिवारी अधियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संख्या द्वारा विरीय संपोषण से पूर्व अपने रस्ते से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर र्धीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर दिव्वे सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

ज्ञापांक 142।

प्रतिलिपि : श्री मुकेश कुमार अनुज्ञातिवारी अधियंता को सूचनार्थी प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड स्वैच्छिक एन्ट 2011 के घारा 431 के तहत प्रासादिक निश्चय प्रतिवेदन संसमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यालय प्रदर्शन
नगर परिषद आदित्यपुर

4 अप्रैल
13-9-14

दिनांक 16-9-14

नगर परिषद आदित्यपुर
4 अप्रैल
13-9-14